18.46 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

ALLEGED CHARGES AGAINST SWADESHI POLYTEX LIMITED

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर) अध्यक्ष महोदय, स्वदेशी पोलिटेक्स के बारे में कई बार इस सदन के अन्दर चर्चा चल चुकी है और कई बार इसके बारे में प्रश्न भी यहां आ चुके हैं। मिस्टर लकप्पा का स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के बारे में जो अनस्टार्ड क्वेश्चन 3030 था, उसके उत्तर में जो इन्फर्मेशन यहां दी गयी थी वह अपर्याप्त थी। इसी कारण इस पर डिस्कशन करने के लिए यह चर्चा मैं उठा रहा हूं।

मैं एक बात मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब आप इकोनोमिक आफेन्डर्स के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि देश के अन्दर इस प्रकार के आर्थिक अपराध न हों तो जो लोग मल्टी मिलियनर्स हैं, पैसे वाले हैं, धनाढ्य हैं, वे लोग जब इस प्रकार के आर्थिक आफेंस करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही तत्काल क्यों नहीं की जाती और उनसे पैसा वसूल करने में ढिलाई क्यों की जाती है? टाल-मटोल क्यों की जाती है? इस सम्बन्ध में मंत्री जी ने टाल-मटोल करने वाला उत्तर दिया है जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए था।

मैं आपके सामने वह प्रश्न पढ़ कर सुनाता हूं जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है। प्रश्न इस प्रकार है—

Whether it is a fact that Swadeshi Polytex Ltd., Ghaziabad, U.P. are involved in a number of criminal acts and misappropriation and embezzlement of public fund etc. Then the Minister replied: Swadeshi Cotton Mill Co. Ltd., under section 408 of the Companies Act, inspection of books of accounts of the company under section 209(a) of the Companies Act was carried out. As a result of this, certain irregularities and mismanagement on the part of the management came to light. The major irregularities as brought out in the inspection book are as follows:

उत्तर में उन्होंने बताया है कि ये इरेग्युलैरिटीज नहीं है बल्कि एम्बैजलमैंट्स हैं।

Non-existence of two imported bailing presses. Grant of interest free advance to certain trusts.

मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि इंटरेस्ट फ्री जो आपने ट्रस्ट को पैसे दिए हैं। क्या आप यह नहीं बता सकते हैं कि किस किस ट्रस्ट को पैसे दिए हैं और कितने कितने दिए हैं? सब चीज आप एवायड करते गए हैं। कितना एमाउंट उस में इनवाल्व्ड है यह भी बताया नहीं है। चूंकि ये मल्टी मिलियनेयर हैं इस वास्ते ही क्या आप ने सब चीज को एवायड नहीं कर दिया है।

Provision of the residential accommodation and perquisites to the Managing Director the Chief Executive of the Company at a high cost in excess of prescribed limit. Purchase of silver vessels by the company for the use of the Managing Director and its family members

चांदी के बर्तन उन्होंने अपने लिए खरीदे। कितने पैसे के खरीदे यह नहीं बताया। लाखों रुपये के थे करोड़ों के थे, कितने के थे नहीं बताया। सभी उत्तर वेग हैं।

Sale of by-products to certain parties at rates lower than the rates charged to others

यह भी एक ग्रेव चार्ज है।

advances made to the handling agents without any provision to that effect in the agreement

कितना उन्होंने एडवांस दिया है इसका भी कोई उत्तर नहीं है।

MR SPEAKER: Please conclude. You can put three or four question. You are making a speech here.

श्री भानु कुमार शास्त्री: इनक्वायरी आरम्भ की इन्होंने 7 मार्च 78 को। उस समय इन्होंने कहा कि आथोरिटीज ने इन्क्वायरी की है और 7-8 को समाप्त होने की सम्भावना है। कब समाप्त हुई इसका पता नहीं। समाप्त होने के बाद तो उनको इसकी रिपोर्ट सदन पटल पर रख देनी चाहिए थी और इन्होंने कहा था कि रखेंगे लेकिन रखी नहीं गई। क्यों नहीं रखी गई है इसको भी बताया जाए।

MR SPEAKER: Please do not make a speech. Put questions only.

श्री भानु कुमार शास्त्री: I am putting question. यह भी आपने नहीं बताया कि इन्होंने टैक्स इवेशन कितना किया है, एमाउंट आपने नहीं बताया है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी

आदि के मामलों मे कितने की चोरी की है इसका भी उत्तर नही दिया गया है। एक्साइज ड्यूटी में कितने का घोटाला हुआ है, गबन हुआ है नही बताया गया और रिकवरी में क्यो डिले हो रही है, यह भी नही बताया। एक्साइज ड्यूटी के बारे मे कहा था कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है। एक साल हो गया है। अब तक तो जानकारी आ गई होगी। क्यो अभी तक यह जानकारी सदन को नही दी गई है? लाखो रुपये की उन्होने टैक्सो की चोरी की है। सेल्स टैक्स के बारे में यह कह दिया है कि यह राज्य सरकार का मामला है इस वास्ते हम जवाब नही दे सकते है।

सबसे बडी चीटिंग कम्पनी ने यह की है कि इनके जो इक्विटी शेयर्ज थे वे बैंक के पास गिरवी थे, प्लेन्ड थे जिनको इन्होने दूसरो को बेच दिया। क्या गिरवी वस्तु दूसरे को बेची जा सकती है? लाखों रुपया उसके अन्दर रहते हुए भी उसको वे ट्रासफर नही कर पाए। मेरे पास फोटा स्टेट कापीज हैं इक्विटी शेयर्ज की जो उन्होने सेल आउट की है, गैर कानूनी ढग से की है। यह जो क्रिमिनल एक्ट था क्यो मत्री महोदय इस पर लिबरल एटीट्यूड ले रहे हैं और क्यो कुछ करना नही चाहते है?

ये चार पाच पाइन्ट्स है जिन पर मै चाहता हू मत्री महोदर प्रकाश डाले और बताए कि जो क्रिमिनल एक्ट्स उन्होने किए है, उनके बारे मे उनका क्या कहना है?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): These are matters on which he wants information. Firstly, in regard to the trusts to which interest free loans of moneys have been advanced by this Company --Swadeshi Polytex Limited. There were four trusts to which money has been advanced Swadeshi Polytex Limited Senior Officers Benefit Trust, Swadeshi Polytex Limited Junior Assistants and Supervisors Benefit Trust, Swadeshi Polytex Workers Benefit Trust, Swadeshi Poljtex Limited Clerical Staff Benefit Trust. The amount which was advanced interest free to these trusts was Rs. 20 lakhs.

I may make it celar that proceedings under section 408 of the Companies Act are pending against Swadeshi Polytex Ltd., for the purpose of appointment of Government directors, so that the result of the inspection report which I am giving to the House now is a *prima facie* assessment. Naturally a final finding will be reached only after a hearing has been given to the company. Only after they have been fully heard, then only a final conclusion will be reached and any action etc. will be taken.

It is true that Rs. 20 lakhs has been advanced free of interest and it is *prima facie* the company's money. The interest to which the company was entitled, the company has not got. It, however, appears from the inspection report that these trusts utilised the money for purchase from the market of the shares of this very company, Swadeshi Polytex Ltd., So that creates a suspicion that those who were managing the Swadeshi Polytex Ltd., were interested in utilising the money of the company itself for the purchase of some shares on which they could have some control through the senior officers, who were trustees of these trusts, because these senior officers were under their control and if those junior officers were the trustees of those trust and if those trusts, from the money of the company purchase shares of this very company, then perhaps the management might have thought that they would be utilising those shares for their own benefit. Anyhow, this is also a matter which would be gone into in those section 408 proceedings, for which some date very shortly has been fixed for the hearing and a final conclusion will be reached.

The second matter on which further information has been asked for is the provision of residence and perquisites and silverware, etc. The information which has emerged from the inspection report in regard to these matters is that a house on a rent of Rs. 5000 had been provided to Shri Sitaram Jaipuria, who was managing director of the company and his son, Shri Ashok Jaipuria, who was a Deputy Chief Executive of the company. This house has been furnished very lavishly and maintained at a heavy cost. The total

Shri Shanti Bhushan]

value of furniture provided to the house came to Rs. 1,35,000 and the maintenance of the accommodation, *viz.* the expenses on electricity, water, telephone etc. costs the company about Rs. 80,000 per year, while maintenance of telephone operators, guards, gardeners drivers, sweepers etc. costs to the company a further sum of Rs. 65,000 per annum, as against the value of the perquisites which were allowed to Shri Sitaram Jaipuria, being a maximum of Rs. 20,000 per annum and the value of perquisites allowed to Shri Ashok Jaipuria being a maximum of Rs. 12,000 per annum. So, as against the maximum of perquisites of Rs. 32,000 per annum between these two persons, this was the amount which was spent by the company on maintenance of residence and other facilities.

So far as the sale of bye-products to other parties is concerned it has emerged again *prima facie* from the inspection report that the company has been selling its bye-products, namely methanol, to certain parties at rates much lower than the rates charged to others. During 1972-73, while methanol was sold to M/s India Plywood Ltd. at rates ranging from Rs. 2700 to 3000 per tonne, the same was sold to M/s Nuchem Plastics Ltd. and M/s Tandon Chemicals Industry at Rs. 1150 per tonne. A similar trend was noticed in the subsequent years. Thus, it appears *prima facie* that special favour was shown to certain parties in the matter of sale of methanol causing pecuniary loss to the company.

Purchase of silverware was another matter. It has emerged from the inspection report that the company purchased silver vessels worth Rs. 1.76 lakhs for the use of the managing director and his family members, which does not appear to be in the interest of the company.

So far as handling agents are concerned, of course, they were product promoters for the sale of polyester fibre and they were appointed on a commission of 1 per cent of the net ex-factory price of the goods prevailing at the time the relevant order was accepted and executed by the company or 30 prise per kg. which ever was less.

The company appointed in all 10 product promoters and paid them Rs. 9,23,653 in 1973-74, Rs. 10,09,008 in 1974-75 and Rs. 12,15,196 in 1975-76. Therefore, this amount which was paid to the product promoters was considerable And from the Inspection Report it appears that the services rendered by these so called product promoters was illusory because the company had got its own marketing division. So, this is a matter which is being gone into.

In regard to handling agents, the position is that the company appointed M/s Pratap Commercial Company Pvt. Ltd. as handling agent for raw materials purchased from India Petroleum Corporation Ltd. and paid handling commission of Rs. 98,690 during 1974-75 and 1975-76. The company also paid an advance of Rs 5 lakhs to the above handling agent without any provision in the agreement reuiring such payment. Payment of advance to the handling agent was *prima facie* unwarranted. So, this is a matter which is being gone into.

In so far as evasion of excise duty is concerned, the inspection report also referred to certain raids by the Central Excise and Income Tax authorities in connection with apprehended evasion of taxes. The inspection report mentioned that the company sold 10,000 kgs of uncut crimped waste in June 1976 to M/s Allied Trading Corporation, Calcutta who in turn sold the same to

M/s Eastern Spinning Mills Ltd., Calcutta. The material was to be used by Eastern Spinning Mills Ltd. for the manufacture of yarn after admixture with other fibre. In August, 1976, the Central Excise Authorities Calcutta is reported to have seized the same material from M/s Eastern Spinning Mills Ltd. and analysis of the . ....by the Chemical Engineer, Customs House, Calcutta revealed that the so called waste was in the form of continuous fibre and not waste. The Assistant Collector of Central Excise, Ghaziabad issued show cause notice to the comapny on 20-1-77 for evasion of central excise The inspection report had not given any findings as to the correctness or otherwise of the allegation on the ground that according to the company it was not known that the goods supplied by Allied Trading Corporation to M/s. Eastern Spinning Mills Ltd. were the same goods as had been produced by the company This item was not included in the show cause notice under Section 408 in the absence of specific findings by the Inspector and also because a show cause notice to the company by the Central Excise Collector, Kanpur was already issued on 3-7-78.

श्री भानु कुमार शास्त्री · शो काज नोटिम मे एक्साइज ड्यूटी कितनी बताई गई है ?

SHRI SHANTI BHUSHAN: It is not known. It has to be calculated. It will be done by the Excise Department which comes under the Finance Ministry. They are going into the matter. Unless the matter is finalised, I cannot say anything. But 10,000 kgs. is the quantity.

Similarly, in regard to tax evasion, the position is that the inspection report mentioned that on 24-12-75 and 26-6-76 the Income Tax Department carried out search and seizure and thereafter on 15-12-77 ordered a special audit of the company's account under Section 142 (2A) of the Income Tax Act for the assessment years 1974-75 to 1976-77 by a Chartered Accountant. The inspection report further mentioned that the Chartered Accountant declined to conduct the special audit as there were several allegations filed against the company and the matter was sub judice.

This is the position in regard to these matters. But under Section 408 a personal hearing has already been fixed in May and, therefore, a final position will be taken after having the full hearing and giving an opportunity to the company to have its say

श्री रतिलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) . अध्यक्ष महोदय, इकानोमिक टाइम्स, मे प्रकाशित एक समाचार इस प्रकार है

'Good show by mini grants record returns by many. Swadeshi Polytex, Tata Finlay, Ind. Organic Excel.'

इसके सदर्भ मे मै देखता हू कि यह दो भाईयो का झगड़ा मात्र है। सरकारी ब्योरो की रिपोर्ट के अनुसार स्वदेशी पालिटेक्स 40 करोड़ रुपये का धधा करने वाला उद्योग है, जिसमें 750 वर्कर्ज काम करते है। तो इस सन्दर्भ मे देखते है कि न मजदूरो का बकाया है और न प्राविडेट फड का बकाया है, हमको कुछ वर्करो ने बताया है कि कोई इसमे मिसमनेजमेट नही है। यह दो भाईयो की लड़ाई के कारण इसको घसीटा जा रहा है। जो बोर्ड ग्राफ डायरेक्टर्स जितने है क्या वे कम्पनी के अपने आदमी है या बाहर के आदमी है और क्या यह कारखाना प्राफिट मे रन कर रहा है या मजदूरो का कोई बकाया है ? प्राविडेट फड या उनकी वेजेज का पैसा क्या बकाया है या बिलकुल क्लीयर होता जा रहा है ? अगर ऐसा है तो इसको अननेसेमरिली मिसमनेज्ड कह करके तग करना और इसको भी सीज कर लेना और फिर जिस तरह से स्वदेशी काटन मिल बन्द हो गई और घाटे में चल रही है उसी तरह इसको भी कर देना, क्या यह उचित होगा ?

श्री शान्ति भूषण : माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया कि इस कम्तनी , स्वदेशी पालिटेक लिमिटेड को घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है तो इस कम्पनी के बारे मे ऐसी कोई शिकायत नही है कि इसमे घाटा हो रहा है, इसको तो फायदा ही हो रहा है। इसमें डायरेक्टार है मनेजिग डाइरेक्टर हैं जो काम कर रहे है। लेकिन जो उन्होने बात उठाई भाईयो के झगड़े की तो भाईयो के झगड़े से 408 की जो प्रोसीडिंग्स हैं इन का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी कम्पनी

[श्री शांति भूषण]

में फायदा भी हो रहा है लेकिन फिर भी उसका मैनेजमेंट अगर गलत काम करे और इस तरह का काम करे कि जो कम्पनी के हित मे नही है तब भी उसमें देखना होता है कि इसमें किसी कार्यवाही की आवश्यकता है या नही ? सिर्फ यही नही है कि कोई नुकसान ही हो रहा हो तभी यह किया जाय। क्योंकि फायदा और ज्यादा होना चाहिए अगर उसका रुपया कोई इधर उधर न किया जाय, कोई बेइमानी न की जाय कोई भी गडबडन की जाय जिससे कि कम्पनी के शेयर होल्डरों को नुकसान हो तब तो दूसरी बात है। लेकिन अगर फायदा भी हो रहा है फिर भी कोई ऐसा काम मैनेजमेंट करता है तो सरकार को उसमे कुछ कार्यवाही करनी होगी। इसीलिए 408 की प्रोसीडिंग चल रही है।

श्री भानु कुमार शास्त्री मैं ने जो यह प्रश्न पूछा है इसका उत्तर नही आया।

श्री शान्ति भूषण उस के बारे मे अभी मुझको जानकारी नही है। मैं उसके बारे में जानकारी करने की कोशिश करूंगा।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) समय की कमी की वजह से मैं केवल एक ही बात कानून मंत्री से जानना चाहता हूं। कम्पनी ऐक्ट के सेक्शन 408 और 209 के मुताबिक प्राइमाफेसी 9 चार्ज लगाए गए हैं और ये 9 चार्ज देखने में काफी गभीर लग रहे है। इस को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार समझती है कि इस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाय ? यदि आप समझते है कि इस में कोई कानूनी अडचन है क्योंकि आप ने 9 चार्ज लगाए हैं, इन से गभीर चार्ज कम्पनीज ऐक्ट में और कोई हो नही सकते है, लेकिन अगर आप समझते है कि यह ब्लैक लिस्ट नही किया जा सकता है तो क्या आप सदन को आश्वस्त करेंगे, जैसा कि अभी आप ने कहा कि मई महीने में इसका फैसला होने वाला है तो जिस तरह से बिरला कम्पनी का फैसला 30 वर्ष मे नही हुआ उसी तरह इसका भी हाल न हो उस के लिए क्या आप सदन को आश्वस्त करेंगे कि 6 महीने के ही अदर इस मामले को सरकार चाहे जिस प्रकार से तय कर देगी ?

श्री शांति भूषण माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि ये गभीर चार्जेज हैं और इस में ब्लैक लिस्ट वाली बात का उन्होंने उठाया तो कम्पनीज ऐक्ट में और कम्पनी अफेयर्स में कोई ब्लैक लिस्ट करने का सवाल नही आता है। अगर एक फैक्ट्री बनी हुई है जिस में अच्छी मशीने हैं, अच्छा उत्पादन हो सकता है, अच्छा फायदा हो सकता है लेकिन अगर उस के मैनेजमेंट ने मनेजिंग डायरेक्टर ने कुछ गलत काम किया है तो उसका उपाय यह होगा कि 408 के अदर उस मे सरकार की तरफ से ऐसे डायरेक्टर बना दिए जाय जिस से वह गलत काम बन्द हो ... तो उस दिशा में यह कार्यवाही 408 की हो रही है। उस पर क्या ऐक्शन लिया जायगा यह तो इस पर मुनहसर होगा कि हीअरिंग होने के बाद क्या नतीजा निकलता है, क्या फैसला होता है ये चार्जेज सही पाये जाते हैं, इसमे कोई दोष पाया जाता है, इस के ऊपर नतीजा निर्भर करेगा।

उन्होने यह कहा है कि मई की तारीख लगायी है तो क्या कोई ऐसा आश्वासन दिया जा सकता है कि मई में ही यह फैसला हो जायगा, तो मैं समझता हूं कि आशा तो यही करनी चाहिए कि जब मई की तारीख लगाई गई है तो मई मे ही फैसला हो जायगा। कम से कम पूरी कोशिश इस बात की की जायगी कि जल्दी से जल्दी इस मे फाइनल कार्यवाही हो जाय।

20.10 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till half past Ten of the Clock on Monday, May 14, 1979/Vaisakha 24, 1901 (Saka).

GMGIPND—Job. I —1082 LS—27-7-79—880